**पत्र सूचना शाखा**
**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0**

# <u>राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2016 अनुमोदित</u>

लखनऊ: 11 मार्च, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 को संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था जिस पर राज्यपाल ने अनुमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर कर दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण राज्यपाल द्वारा गत 16 दिसम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 प्रख्यापित किया गया था।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन (99/21)